भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2244
05.08.2024 को उत्तर के लिए

पंजाब में पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण

2244. डॉ. धर्मवीर गांधी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य विशेषकर पटियाला, लुधियाना और अमृतसर शहरों में, जो उक्त राज्य के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से हैं, में पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उक्त राज्य में संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या उक्त राज्य में वनरोपण परियोजनाओं और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों सहित पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए कोई नई पहल की योजना बनाई गई है तथा इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और हरित भारत मिशन जैसी योजनाओं के अंतर्गत उक्त राज्य में पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने वर्ष 2019 में एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय अनुभवों और राष्ट्रीय अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, एनसीएपी के तहत राष्ट्रीय स्तर का संभावित लक्ष्य वर्ष 2024 तक विविक्त कण सांद्रता में 20%-30% की कमी करना है। इस लक्ष्य को संशोधित करके वर्ष 2025-26 तक पीएम10 के स्तर में 40% तक की कमी या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (60 μg/m3) को पूरा करने का नया लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दस लाख से अधिक की आबादी वाले और मानकों को पूरा न कर पाने वाले 131 शहरों (लगातार पांच वर्षों तक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) का अनुपालन नहीं करने वाले शहरों) को अभिज्ञात किया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पंजाब राज्य के 9 शहरों (पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, खन्ना, गोबिंदगढ़, डेरा बस्सी, पठानकोट/डेरा बाबा और नया-नांगल) सहित इन सभी मानकों को पूरा न करने वाले/दस लाख से

अधिक की आबादी वाले 131 शहरों में शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं और उनका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया है।

इन शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं में, शहर विशिष्ट के वायु प्रदूषण स्रोतों जैसे मृदा और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, एमएसडब्ल्यू जलाना, विनिर्माण सामग्री और उद्योगों को लक्ष्य किया गया है जिनमें अल्पकालिक प्राथमिकता वाली कार्रवाईयों के साथ-साथ वे कार्रवाईयां भी आती हैं जो जिम्मेदार एजेंसियों के साथ मध्यम से लंबी समय सीमा तक पूरी की जाती हैं।

पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति इस प्रकार है :

- राज्य में कुल 4374.6 टीपीडी ठोस अपशिष्ट पैदा हुआ, जिसमें से 4367.2 टीपीडी एकत्रित किया गया, 1795.8 टीपीडी शोधित किया गया तथा 2571.4 टीपीडी लैंडफिल किया गया।
- गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिए वर्ष 2022 के अंत तक राज्य में कुल 8350 प्रसंस्करण स्थल स्थापित किए गए हैं।
- पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट का चैनलाइजेशन 266 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ) के माध्यम से किया जाता है।
- वर्तमान में 130 डंपसाइट हैं, जिनमें से 3 को पुनः प्राप्त कर लिया गया है तथा 35 डंपसाइटों को सैनिटरी लैंडफिल साइट में परिवर्तित कर दिया गया है।
- स्वायत्त शासन विभाग ने राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण, पृथक किए गए अपशिष्ट को प्रसंस्करण स्थल/खाद गड्ढों तक पहुंचाना, गीले अपशिष्ट को खाद गड्ढों/बायोमेथेनेशन पर संसाधित करना, सूखे अपशिष्ट में से पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए एमआरएफ सुविधास्थल तक पहुंचाना तथा निष्क्रिय अपशिष्ट को सैनिटरी लैंडफिल सुविधास्थल में चैनलाइज़ करना और अंतिम रूप से निपटान करना शामिल है।

अमृतसर और लुधियाना शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण नीचे दिया गया है :

अमृतसर :

- अमृतसर शहर के प्रतिदिन 520 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से 252 टन अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जाता है तथा 5 टन अपशिष्ट का लैंडफिल स्थल पर सुरक्षित निपटान किया गया है।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में 67 खाद बनाने के गड्ढे और 1 प्रस्तावित अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं।
- शहर में 3 डंपसाइट हैं, जिनमें से 2 पर जैव खनन कार्य शुरू हो चुका है।

लुधियाना :

- लुधियाना शहर में 1100 टीपीडी उत्पन्न होता है, जिसमें से 165 टीपीडी का प्रसंस्करण किया जाता है और 5 टीपीडी का लैंडफिल स्थल पर सुरक्षित निपटान किया गया है।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में 1 खाद गड्ढा शामिल है।

- शहर में 2 डंपसाइट हैं, जिनमें से 1 साइट पर जैव खनन कार्य शुरू हो चुका है।

उपरोक्त के अलावा, सीपीसीबी ने धान की पराली आधारित पेलेटाइजेशन और टोरफैक्शन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिससे पंजाब राज्य सहित उत्तरी क्षेत्र के कृषि क्षेत्रों में धान की पराली को खुले में जलाने की समस्या के समाधान में मदद मिलने की उम्मीद है। जहां तक पेलेटीकरण संयंत्र की बात है तो, प्रति टीपीएच 28 लाख रुपये या 01 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी पर आने वाली पूंजीगत लागत का 40%, इनमें से जो भी कम हो, एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है लेकिन इस प्रकार अधिकतम कुल वित्तीय सहायता 1.4 करोड़ रुपए प्रति प्रस्तावक होता है। टोरीफिकेशन संयंत्रों की बात है तो, प्रति टीपीएच 56 लाख रुपये या 1 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी पर आने वाली पूंजीगत लागत का 40%, इनमें से जो भी कम हो, एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है लेकिन इस प्रकार अधिकतम कुल वित्तीय सहायता 2.8 करोड़ रुपए प्रति प्रस्तावक होता है। अब तक इन दिशानिर्देशों के तहत पंजाब राज्य में सीपीसीबी द्वारा 13 संयंत्र (अमृतसर-02, पटियाला-01) स्वीकृत किए गए हैं। इन 13 संयंत्रों की कुल पेलेट उत्पादन क्षमता 52.5 टीपीएच है, जबकि धान की पराली की संभावित वार्षिक उपयोग 2.48 लाख टन और पेलेट उत्पादन 1.89 लाख टन है। इसके अलावा, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध-I** में संलग्न हैं।

(ख) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) ने वर्ष 2018 में "पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने" के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्ष 2022 में इस योजना का कृषि मशीनीकरण संबंधी उप-मिशन (एसएमएएम) में विलय कर दिया गया है और एसएमएएम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) में विलय कर दिया गया है। वर्ष 2018-2024 के दौरान, उक्त योजना के तहत दिल्ली और अन्य राज्यों को जारी की गई कुल धनराशि 3398.56 करोड़ रुपये है, जिसका उपयोग करके 2.7 लाख से अधिक फसल अवशेष मशीनरी व्यक्तिगत किसानों और सीएचसी को वितरित की गई हैं, और 39,000 से अधिक सीएचसी स्थापित किए गए हैं।

(ग) पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 163 नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाएं निम्नवत हैं :

- राज्य ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय (डीईसीसी) के माध्यम से अप्रैल 2019 में शहरी ठोस अपशिष्ट सहित अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी व्यापक कार्य योजना को अधिसूचित किया है। इस कार्य योजना में राज्य के सभी यूएलबी के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन करने की समयसीमा तय की गई है।
- स्वायत्त शासन विभाग, पंजाब ने विकेंद्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाते हुए पंजाब राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2018 और पंजाब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता एवं सफाई उपनियम, 2020 तैयार किए हैं। इसके अलावा, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा

एसडब्लूएम नियम, 2016 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एसओपी तैयार की गई है।

- इस नीति में परिकल्पना की गई है कि राज्य 6 आर सिद्धांतों अर्थात रिफ्यूज, रिड्यूस, रियूज़, रिसाइकिल, रिडिज़ाइन और रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुव्यवस्थित विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण को अपनाकर वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए कार्य करेगा।

(घ) एनसीएपी के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 1615.47 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है, जिसमें से 102.70 करोड़ रुपये पंजाब राज्य में स्थित मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को जारी किए गए हैं। एनसीएपी के तहत पंजाब राज्य को जारी की गई शहर-वार धनराशि का विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है।

15वें वित्त आयोग (XVएफसी) की सिफारिशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 से दिनांक 01.07.24 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों/शहरी समूहों (यूए) को वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए अनुदान के रूप में 9595.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 159 करोड़ रुपये पंजाब राज्य में स्थित 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को जारी किए गए हैं। इनका विवरण **अनुबंध-III** में संलग्न है।

*****

अनुबंध-।

वायु गुणवत्ता के प्रबंधन हेतु उठाए गए कदम

1.0 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम :

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरूआत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी 2019 में की गई है, जिसका उद्देश्य 24 राज्यों के 131 शहरों (वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में सभी हितधारकों को नियोजित करके वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
- एनसीएपी में वर्ष 2017 की आधार रेखा की तुलना में वर्ष 2024 तक पीएम$_{10}$ की सांद्रता में 20-30 प्रतिशत तक कमी लाने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2025-26 तक पीएम$_{10}$ स्तर में 40% तक की कमी लाने या राष्ट्रीय मानकों (60µg/m^3) को हासिल करने के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है।
- सभी 131 शहरों द्वारा शहर कार्य योजनाएं (सीएपी) तैयार की गई हैं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।
- शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) जलाने, निर्माण सामग्री और उद्योगों जैसे शहर विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों पर लक्षित हैं।
- शहरी कार्य योजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए इन 131 शहरों को कार्य निष्पादन आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- इसके अलावा, शहर कार्य योजनाओं (सीएपी) के कार्यान्वयन के लिए धनराशि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम (शहरी), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी), स्मार्ट सिटी मिशन, किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण (फेम-II), नगर वन योजना, आदि से प्राप्त संसाधनों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और इसकी एजेंसियों जैसे नगर निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों आदि से प्राप्त संसाधनों के बीच समन्वय के माध्यम से जुटाई जा रही है।
- वायु प्रदूषण से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए सभी 131 शहरों में लोक शिकायत निवारण पोर्टल (पीजीआरपी)/हेल्पलाइन विकसित की गई है।
- वायु प्रदूषण संबंधी आपात स्थितियों में कार्रवाई करने के लिए सभी 131 शहरों द्वारा आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली (ईआरएस/जीआरएपी) विकसित की गई है।
- 131 अभिज्ञात शहरों में से 95 शहरों में वित्तीय वर्ष 2017-18 के स्तरों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएम10 सांद्रता में कमी देखी गई है। साथ ही, 16 शहरों (गुलबर्गा, नालगोंडा, दमताल, ओंगोले, चित्तूर, नेल्लोर, कुरनूल, डेरा बाबा नानक, नया नांगल, सिल्चर, परवानू, सुंदर नगर, शिवसागर, कडडपा, त्रिची, तूतीकोरिन) ने पीएम10 सांद्रता का वार्षिक औसत अर्थात 60µg/m^3 के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है।

2.0 वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय :

- 1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में और 1 अप्रैल, 2020 से देश के बाकी हिस्सों में बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को अपनाना।

- अप्रैल, 2020 से पूरे देश में बीएस- IV मानकों को अपनाने वाले वाहनों की शुरूआत।
- भारी उद्योग विभाग भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम-।। इंडिया) योजना के तहत ई-वाहनों पर सब्सिडी प्रदान कर रहा है।
- किफायती परिवहन की दिशा में संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी) को कंप्रेस्ड योग-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधन में उपयोग के लिए सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराने की एक पहल के रूप में शुरू किया गया है।
- वाहन में ईंधन भरते समय होने वाले उत्सर्जनों को नियंत्रित करने के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रति माह 100 किलोलीटर से अधिक पेट्रोल बेचने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों तथा एक लाख से दस लाख की आबादी वाले शहरों में प्रति माह 300 किलोलीटर से अधिक पेट्रोल बेचने वाले पंपों में वाष्प रिकवरी प्रणाली (वीआरएस) की संस्थापना।

3.0 औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण के उपाय :

- स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत करने और अनुपालन को प्रभावी बनाने के लिए, सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों को ओसीईएमएस स्थापित करने का निदेश दिया। उद्योगों की 17 श्रेणियों के अंतर्गत 4,315 इकाइयाँ हैं, जिनमें से 3,734 इकाइयों ने ओसीईएमएस स्थापित कर लिया है और 581 इकाइयों को बंद करने के निदेश अभी भी लागू हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की अनुसूची-I: 'विभिन्न उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के मानक' के तहत उद्योग विशिष्ट निस्सरण मानकों को अधिसूचित करता है। अब तक, 79 औद्योगिक क्षेत्रों (56 क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों सहित) के लिए उद्योग विशिष्ट पर्यावरण मानकों को अधिसूचित किया गया है। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र, जिनके लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उन पर पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित सामान्य मानक लागू होंगे।
- देश में केवल अनुमति प्राप्त प्रसंस्करणों में उपयोग को छोड़कर, 26 जुलाई, 2018 से आयातित पेट्ट कोक के प्रयोग पर प्रतिबंध
- सीपीसीबी ने सकल यांत्रिक शक्ति 800 किलोवाट तक के डीजल पावर जेनरेटिंग सेट इंजनों के लिए रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों (आरईसीडी) के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया जारी की है।

4.0 दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय :

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2018 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की थी। उक्त योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी प्रदान की जाती है। 2018-2024 के दौरान उक्त योजना के तहत दिल्ली और अन्य राज्यों को जारी की गई कुल धनराशि 3398.56 करोड़ रुपये है, जिसका उपयोग करके 2.7

लाख से अधिक फसल अवशेष मशीनरी व्यक्तिगत किसानों और सीएचसी को वितरित की गई हैं और 39,000 से अधिक सीएचसी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 में फसल अवशेष/धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल अवशेष/धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना को सहायता प्रदान करने के लिए योजना के तहत दिशानिर्देशों को संशोधित किया।

- सीएक्यूएम द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने और नियंत्रित करने के लिए संशोधित कार्य योजना को सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए गए।
- सीपीसीबी ने धान की पराली पर आधारित पेलेटाइजेशन और टॉरफिकेशन प्लांट लगाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और उत्तरी क्षेत्र में कृषि क्षेत्रों में धान की पराली को खुले में जलाने की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से उपयोग के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत, 07 संयंत्रों (मनसा- 03, पटियाला- 01, होशियारपुर- 01, अमृतसर- 01, सिरसा-01) जिनकी कुल संचयी क्षमता 33 टीपीएच है, के लिए धनराशि जारी की गई है।

5.0 वायु गुणवत्ता निगरानी और नेटवर्क :

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। दैनिक वायु गुणवत्ता बुलेटिन के माध्यम से जनता तक जानकारी प्रसारित की जा रही है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क: देश में 1504 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (541 सतत और 963 मैनुअल) का नेटवर्क है, जो 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 519 शहरों को शामिल करता है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक केन्द्रीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी पोर्टल संचालित किया जाता है, जिसमें प्रति घंटे पीएम सांद्रता, निगरानी स्टेशनों के लाइव वायु गुणवत्ता डेटा और लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसी विभिन्न सूचनाओं को ट्रैक किया जाता है।
- सीपीसीबी की वेबसाइट पर दैनिक एक्यूआई बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है, जिसमें पूरे भारत के शहरों की एक्यूआई जानकारी दी जाती है।

6.0 निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट

- सीपीसीबी द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रकाशित किए गए हैं :
  1. मार्च, 2017 में निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्टों का पर्यावरणीय प्रबंधन
  2. नवंबर, 2017 में 'विनिर्माण सामग्री और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्टों के प्रबंधन में धूल उपशमन उपायों संबंधी दिशानिर्देश'।
  3. खुले में जलाने और लैंडफिल की आग से निपटने के लिए जैव-खनन और जैव-उपचार द्वारा पुराने अपशिष्ट का निपटान।
- सीपीसीबी ने 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली निर्माण परियोजनाओं/स्थलों पर एंटी-स्मॉग-गन लगाना और पर्याप्त धूल शमन उपायों के कार्यान्वयन के लिए सभी सीपीसीबी/पीसीसी को निदेश जारी किया है। सीपीसीबी ने निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं में एंटी-स्मॉग गन के प्रयोग हेतु दिशा निर्देश/प्रणाली जारी की है।

- निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र (वेब पोर्टल के माध्यम से) शुरू किया गया।

7.0 नियमित हितधारक परामर्श, आम जन एवं मीडिया आउटरीच :

- सीपीसीबी ने एक मोबाइल ऐप यानी 'समीर' विकसित किया है, जिसमें एक्यूआई सहित विभिन्न मापदंडों का रियल-टाइम परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा भी दिया गया है। समीर ऐप एनसीआर क्षेत्र में भी जनता को वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतें दर्ज करने में भी जनता की सुविधा प्रदान करता है और ऐसी शिकायतें विभिन्न स्थानीय एजेंसियों को सौंपी जाती हैं।
- जन-सम्पर्क के लिए समर्पित मीडिया कार्नर, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट भी बनाए गए हैं।
- समीर ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत निवारण की निगरानी की जाती है और निवारण की स्थिति को संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है।
- दैनिक एक्यूआई स्थिति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जाती है। वायु प्रदूषण, पटाखे, वाहन प्रदूषण, पराली जलाना, सतत जीवन शैली आदि से संबंधित विभिन्न अभियानों के साथ-साथ सूचनात्मक पोस्ट भी नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाते हैं।
- सीपीसीबी दैनिक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें दिल्ली और एनसीआर के शहरों का एक्यूआई, तुलनात्मक एक्यूआई स्थिति, पीएम सांद्रता के वर्षवार रुझान, दिन के हॉटस्पॉट, एएफई गणना, पराली जलाने का योगदान और मौसम संबंधी पूर्वानुमान शामिल होता है। यह रिपोर्ट विभिन्न स्रोतों जैसे आईएमडी, सफर, आईएआरआई आदि से उपलब्ध इनपुट के आधार पर तैयार की जाती है और सीपीसीबी वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

*****

अनुबंध-II

एनसीएपी के तहत पंजाब राज्य को वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24 के लिए शहर-वार स्वीकृत धनराशि (दिनांक 01.07.24 तक)

राज्य	क्र.सं.	शहर	वर्ष के दौरान स्वीकृत/प्राप्त/जारी धनराशि (करोड़ में)						
			वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	कुल	कुल योग
			1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	
पंजाब	1	*लुधियाना	6.00					6.00	102.70
	2	*अमृतसर	6.00					6.00	
	3	जालंधर	0.12	4.00		10.53	30.79	45.44	
	4	खन्ना	0.06	1.90		1.40	3.64	7.00	
	5	गोविंदगढ़	0.06	3.00		1.84	0.74	5.64	
	6	नया नांगल	0.06	1.00		1.01	1.30	3.37	
	7	पठानकोट/ डेरा बाबा	0.06	0.76		1.91	4.00	6.73	
	8	पटियाला	0.06	4.00		4.49	12.63	21.18	
	9	डेरा बस्सी	0.06	0.38		0.45	0.45	1.34	
कुल			**12.48**	**15.04**		**21.63**	**53.55**	**102.7**	**102.70**

अनुबंध-III

15वें वित्त आयोग के तहत पंजाब राज्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक शहर-वार स्वीकृत धनराशि (दिनांक 01.07.24 तक)

राज्य	क्र.सं.	शहर	जारी की गई धनराशि (करोड़ में)					
			वित्तीय वर्ष					
			वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 23-24	कुल योग	कुल
			1	2	3	4	5=1+2+3+4	
पंजाब	1	अमृतसर (यूए)	38.00	14.25	15.00	-	67.25	159.00
	2	लुधियाना यूए	52.00	19.50	20.25	-	91.75	
		कुल	**90.00**	**33.75**	**35.25**	**-**	**159**	

* यूए= शहरी समूह

*****